एस0टी0 क0 41/2022 शा० बनाम अमन कुमार दास

प्रारंभ - 16:18 बजे ।

Witness No. **26** for **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken

the **25-04-2024** day of **गुरूवार** Witness's apparent age **46 वर्ष**

State on affirmation **शपथपूर्वक** my name is **बजरंग दास**

S/of **स्व० श्री सजन दास** occupation **कृषि एवं मजदूरी ।**

addres **ग्राम - रंजना, थाना-दीपका, जिला-कोरबा छ०ग० ।**

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक आनंद ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

1. मैं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित आरोपी अमन कुमार दास को जानता हूँ । मैं प्रार्थी रामकिशुन दास को नहीं जानता हूँ । तहसील न्यायालय में दिनाँक 18-07-2022 को पहचाना कार्यवाही करवायी गयी थी ।

2. पहचान की कार्यवाही लगभग दोपहर 02 बजे तहसील न्यायालय कटघोरा में हुआ था । उस समय मैं बच्चे का जाति निवास प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील कटघोरा में था । तहसील न्यायालय में पहचान कार्यवाही के समय तहसीलदार कृष्ण कुमार लहरे मौजूद था और आरोपी अमन कुमार दास तथा पाँच अन्य लड़के लोग उपस्थित थे इसके अलावा अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी भी मौजूद थे जिन्होने पहचान की कार्यवाही की थी । वहाँ पर उपस्थित पाँच लड़को का उम्र 19 वर्ष और 20-21 वर्ष के थे । पहचान कार्यवाही के समय मेरे साथ छत्रपाल भी था जो अपने काम से तहसील न्यायालय कटघोरा आया था ।

सही/-
श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर :–

3. पहचान करने वाले अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी थे । पहचान कार्यवाही के समय आरोपी तथा उसके साथ उपस्थित पाँच लड़के के उपर मोटा चद्दर से गले से नीचे तक ढंका हुआ था जिसे अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी के द्वारा आरोपी के सिर में हाथ रखकर शिनाख्ती (पहचान) किये थे । शिनाख्ती कार्यवाही के समय आरोपी का जगह तीन बार परिवर्तन किया गया था । तीनों जगहों पर अनवर हुसैन और वर्षा लखवान के द्वारा आरोपी अमन कुमार दास के सिर पर हाथ रखकर पहचान किये थे ।

4. पहचान कार्यवाही के समय कार्यवाही स्थल वाले कमरे में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था थी । पहचान कार्यवाही के समय वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी उपस्थित नहीं था । तहसील न्यायालय के बाहर में पुलिस मौजूद थे । पहचान कार्यवाही के समय **प्र०पी० 10** की लिखापढ़ी किये थे और मुझसे हस्ताक्षर कराये थे । साक्षी को शिनाख्ती कार्यवाही **प्र०पी० 10** दिखाये जाने पर उसने ई से ई भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री निजामुद्दीन अंसारी अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

5. यह कहना सही है कि पिछले साल होली और दिवाली त्यौहार किस दिनाँक को था मुझे नहीं मालूम । यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के संबंध में मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था । मेरे घर से कटघोरा की दूरी लगभग 12 कि०मी० है । मेरे घर से कुसमुंडा की दूरी लगभग 15 कि०मी० है । यह कहना गलत है कि आरोपी को मैं पूर्व से जानता हूँ । स्वतः कहा कि कार्यवाही के समय तहसीलदार साहब बताये थे ।

सही/-

साक्षी के हस्ताक्षर :–

श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

6. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी को कितने बजे तहसील न्यायालय लेकर आये थे । पहचान कार्यवाही के पूर्व तहसीलदार आरोपी को तहसील न्यायालय के बाहर बैठाये थे । यह कहना सही है कि आरोपी जिस जगह पर बैठा था वहाँ लोगों का आना जाना था और आते जाते देख रहे थे । यह कहना सही है कि पाँच अन्य लड़के मौजूद थे जिसके संबंध में मैं उनका जन्म प्रमाण या अन्य प्रमाण पत्र नहीं देखा था ।

7. यह कहना गलत है कि अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी आरोपी को देखे थे । स्वतः कहा कि ये लोग अंदर थे और आरोपी बाहर बैठा था । आरोपी को ये लोग आते जाते देखे थे । साक्षी अब कहता है कि अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी आरोपी को देखे थे अथवा नहीं मुझे नहीं मालूम ।

8. यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के पूर्व तहसीलदार ने मुझे बताया था कि अनवर हुसैन, वर्षा लखवानी आरोपी अमन कुमार दास की पहचान कार्यवाही के लिये आये है । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय तहसील कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ था । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय टी० आई० साहब अंदर में मौजूद थे । स्वतः कहा कि बाहर बैठे थे ।

9. यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के पूर्व आरोपी के अलावा पाँच अन्य लड़के तहसील कार्यालय के अंदर थे जहाँ अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी भी बैठे थे । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के पूर्व आरोपी अमन कुमार दास के हाथों में हथकड़ी लगी थी । यह कहना गलत है कि शिनाख्ती की कार्यवाही मेरे समक्ष नहीं हुई थी और न ही कोई लिखापढ़ी हुई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरे सामने लिखापढ़ी हुआ था जिसमें मैंने पढ़कर

सही/-

साक्षी के हस्ताक्षर :–

श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि मैंने हस्ताक्षर करने के पूर्व **प्र०पी० 10** को नहीं पढ़ा था । यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ मेरे सामने कोई पहचान की कार्यवाही नहीं हुयी थी । यह कहना गलत है कि जब मैं हस्ताक्षर किया तब **प्र०पी० 10** कोरा था, उसमें कुछ नहीं लिखा था । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय पाँच लड़के नहीं आये थे । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी भी मौजूद नहीं थे ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनायां गया । मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समय - 17:00 बजे ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग

साक्षी के हस्ताक्षर :–

सही/-
श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

एस0टी0 क0 41/2022 शा० बनाम अमन कुमार दास

प्रारंभ - 15:30 बजे ।

Witness No. **25** for **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken

the **25-04-2024** day of **गुरूवार** Witness's apparent age **42 वर्ष**

State on affirmation **शपथपूर्वक** my name is **छत्रपाल दास**

S/of **स्व० श्री लच्छन दास** occupation **कृषि एवं मजदूरी ।**

addres **गजरा, बांकी मोंगरा थाना-बांकीमोंगरा, जिला-कोरबा छ०ग० ।**

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक आनंद ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

10. मैं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित आरोपी अमन कुमार दास को जानता हूँ । मैं प्रार्थी रामकिशुन दास को नहीं जानता हूँ । मैं तहसील न्यायालय में दिनाँक 18-07-2022 को पेशी में गया था तो मुझे वहाँ पर पहचान कार्यवाही में उपस्थित रहने के लिये कटघोरा के पुलिसवाले ने बुलाया था।

11. वहाँ पर तहसीलदार साहब और उनके बाबू लोग थे । पहचान की कार्यवाही लगभग दोपहर 01:00 बजे प्रारंभ हुई । पहचान की कार्यवाही तहसीलदार न्यायालय में हुई थी । वहाँ पर आरोपी अमन कुमार दास के अलावा 05 अन्य लोग उपस्थित थे जिनकी उम्र लगभग 19 वर्ष एवं 21 वर्ष रहा होगा ।

12. पहचान कार्यवाही के समय खान साहब और एक महिला वहाँ पर बैठी थी और मैं तथा बजरंग दास दोनों पहचान किये थे । पहचान कार्यावाही के समय अलग-अलग स्थान पर संदेही को तीन बार रखकर पहचान की कार्यवाही किये

सही/-

साक्षी के हस्ताक्षर :–

श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

थे। पहचान कार्यवाही के समय कमरे में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था थी । पहचान कार्यवाही के समय टी०आई० साहब मौजूद थे । पहचान कार्यवाही की लिखापढ़ी तहसील न्यायालय के अंदर हुआ था और मैं वहीं हस्ताक्षर किया था । साक्षी को शिनाख्ती कार्यवाही **प्र०पी० 10** दिखाये जाने पर उसने **द** से **द** भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ।

<u>नोट-इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचार बाद अनुमति दी गई ।</u>

13. यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही में अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी ने आरोपी अमन कुमार दास को पहचाना था । स्वतः कहा कि हम लोग भी पहचाने थे । यह कहना गलत है कि पहचान कार्यवाही के समय कमरे में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था । स्वतः कहा कि टी०आई० साहब भी कमरे में थे । यह कहना गलत है कि पुलिसवाले वहाँ पर अपने युनीफार्म में नहीं थे । यह कहना सही है कि अनवर हुसैन और लखवानी ने तीन बार आरोपी अमन कुमार दास के सिर में हाथ रखकर शिनाख्ती की कार्यवाही की थी ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री निजामुद्दीन अंसारी अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

14. यह कहना सही है कि मुझे तहसील न्यायालय में पहचान कार्यवाही के लिये कोई नोटिस नहीं मिला था । मुझे आज याद नहीं है कि पिछले वर्ष दिवापली और होली का त्यौहार किस दिन था । यह कहना सही है कि तहसीलदार के०के० लहरे से मेरी जान पहचान है । यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के पहले अमन कुमार को कोर्ट रूम में रखे थे, कोर्ट रूम के दोनों दरवाजे खुले थे। यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के पूर्व से ही अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी कोर्ट में बैठे थे और आरोपी भी पूर्व से वहाँ बैठा था । यह कहना सही है

सही/-

साक्षी के हस्ताक्षर :–

श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

कि कोर्ट के अंदर टी०आई० साहब बैठे थे और उन्होने बताया कि ये अमन कुमार दास है ।

15. पहचान कार्यवाही के दिन मेरा पट्टा प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन पेश किया था उसी का पेशी था । यह कहना सही है कि पूर्व में बैठे थे और बाद में पहचान की कार्यवाही शुरू किये थे । यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के पूर्व आरोपी को अनवर हुसैन और वर्षा लखवानी को दिखा दिये थे । यह कहना सही है कि **प्र०पी० 10** को मैं नहीं पढ़ा था इसलिये नहीं बता सकता कि **प्र०पी० 10** में क्या लिखा था ।

16. यह कहना सही है कि बजरंग दास का तहसीलदार साहब से जान पहचान है ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनायां गया । मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समय - 16:15 बजे ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग

साक्षी के हस्ताक्षर :–

सही/-
श्रीमती मधु तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ०ग०)